संख्या- 122 /2019 / 1589 /चार-2019-19 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 09 अगस्त, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में रामगढ ताल परियोजना गोरखपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच के अनुरक्षण व सुधार आदि कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-850/सं0नि0-1(39)/2004 दिनांक 05 जुलाई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामगढ ताल परियोजना गोरखपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच के अनुरक्षण व सुधार आदि कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0डी0एस0 जल निगम द्वारा आगणन धनराशि रू0 392.67 लाख का परीक्षण विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 389.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-62/2018/864/चार-2018-19(बजट)/2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 द्वारा रू0 75.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-150/2018/3489/चार-2018-19(बजट)/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा रू0 75.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 150.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या-62/2018/864/चार-2018-19(बजट)/2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-150/2018/3489/चार-2018-19(बजट)/2018 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-40-रामगढ ताल परियोजना गोरखपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच के अनुरक्षण हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 122 /2019/ 1589 /चार-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।